

विषय- प्रतिरक्षण आदेश जारी करने बाबत ।

कॉपी नं० 1385  
29/02/16  
गृह विभाग (शाखा बी-4)

कृपया याचिका क्रमांक WP-890/16 द्वारा श्री गजेन्द्र भूतपूर्व आरक्षक जिला रतलाम विरुद्ध शासन एवं अन्य, जो याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में सेवा से पृथक के संबंध में दायर की गई हैं ।

मध्य प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 2 (अ) 142/10/ बी-4/ दो दिनांक 31.05.2010 के अनुसार प्रकरण में पुलिस मुख्यालय स्तर से नगर पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को प्रभारी अधिकारी के नियुक्ति आदेश दिनांक 24 /02/2016 को जारी कर दिये गये हैं, प्रति संलग्न हैं ।

अतः प्रकरण में प्रतिरक्षण आदेश हेतु नस्ती मूलतः गृह पुलिस विभाग के माध्यम से विधि विभाग को अंकित किये जाने हेतु याचिका संलग्न कर प्रेषित है। कृपया कार्य उपरान्त याचिका वापिस भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

सहायक पुलिस महानिरीक्षक(विधि)

अवर सचिव, गृह

8084  
मा 20/16  
27/2/16

अनुसार कार्यवाही हेतु मल्ली मूलतः  
विधि विभाग को अंकित की जाय ।

अवर सचिव  
गृह

Approved  
1-3-16

विधि विभाग  
6901

4-3  
(अजय शर्मा)  
अवर सचिव,  
मध्य प्रदेश शासन,  
गृह विभाग

कॉपी नं०  
1385  
8-3-16

1584/21-क(प्र)  
8/3/16

क. 1385/284/अ-5/अ-67/16  
दि. 24-2-16

मा 20/16  
27/2/16

प. 4/349/1684-अ-1  
05/03/16



BY. REGD. A.D. POST

3/16 D-1417AD  
16/02/16

15 FEB 2016

IN THE High Court of Judicature at Jabalpur: Bench at Indore

Process Id: 8374/2016

WP/890/2016

From

Deputy Registrar,  
High Court of Judicature  
at Indore

To,

Director General Of Police,  
Police Head Quarter,  
Janhagirabad Bhopal,  
District- Bhopal (MADHYA PRADESH),

Sub: Notice to Respondent No. 2 in writ Petition(Mandamus/Prohibition/ Certiorari/Quo Warranto) No. WP/890/ 2016

Sir/Madam,

I am directed to inform you that one **Gajendra Singh** has filed a petition under Article 226 of the Constitution of India (Copy enclosed) in this Court, and the same is registered as Writ Petition (Mandamus/ Prohibition/ Certiorari/ Quo Warranto) No. **WP/890/2016**

Take notice that you are required to submit a return personally or through a duly engaged Advocate on or before **11-04-2016**. If no return is filed as aforesaid, the petition will be heard and decided ex parte.

(Seal of the Court)  
Each: Copy of Petition

114  
17-2-16



RECEIVED AT 15 FEB 2016

Your's faithfully


  
DEPUTY REGISTRAR

BY REGD. MAIL

BY REGD. MAIL POST

Handwritten notes and signatures, including a date "1901" and a signature "J. S. 1901".

Handwritten signature or initials.





(43)

**:: पुलिस मुख्यालय, मध्यप्रदेश, भोपाल ::**

**:: आदेश ::**


मध्य प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ2(अ)142/10/बी-4/दो दिनांक 31.5.2010 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार याचिका क्रमांक-WP-890/16 श्री द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व आरक्षक जिला रतलाम विरुद्ध शासन एवं अन्य जो सेवा से पृथक से संबंधित है। याचिका मान0 उच्च न्यायालय इन्दौर में दायर की गई है। प्रकरण में जवाबदावा प्रस्तुत करने हेतु नगर पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

हस्ता/-

सहायक पुलिस महानिरीक्षक(विधि)  
पुलिस मुख्यालय भोपाल

क्रमांक / पुमु / एलएसडू / ए-5 / ( 03 / 16 ) / 428 / 16 दिनांक 24 / 02 / 2016  
प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, मध्य प्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. उप पुलिस महानिरीक्षक, रतलाम रेंज रतलाम की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. पुलिस अधीक्षक, जिला रतलाम की ओर कृपया विषयांकित याचिका में मान. उच्च न्यायालय, इन्दौर में सुनवाई हेतु दिनांक 11/04/16 नियत है। अतः प्रभारी अधिकारी को निर्देशित करें कि याचिका से संबंधित विस्तृत विवरण एवं समस्त अभिलेख संबंधित कार्यालय/पुलिस मुख्यालय की संबंधित शाखा से अविलंब प्राप्त कर शासकीय अधिवक्ता, महाधिवक्ता कार्यालय इन्दौर से सम्पर्क कर व जी.ओ.पी. 89/2000 में दिये गये निर्देशानुसार जवाबदावा तैयार करवा कर संबंधित सक्षम अधिकारी से अनुमोदन उपरान्त समय-सीमा में मान. न्यायालय में प्रस्तुत करें, व प्रस्तुत किये गये जवाबदावा की प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध करावें। प्रकरण में यदि मान. न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया हो तो उसे निरस्त कराने हेतु तत्काल निर्धारित कार्यवाही सुनिश्चित करें। प्रकरण की प्रगति नियमित रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
4. शासकीय अधिवक्ता, कार्यालय महाधिवक्ता इन्दौर म.प्र. की ओर कृपया सूचनार्थ एवं नियुक्त प्रभारी अधिकारी को आवश्यक जवाबदावा तैयार कराने के निवेदन सहित, ताकि समयावधि में माननीय न्यायालय में शासन का पक्ष प्रस्तुत हो सके।
5. उप सेनानी 15वीं वाहिनी विसबल इन्दौर/नोडल अधिकारी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. नगर पुलिस अधीक्षक जिला रतलाम/प्रभारी अधिकारी की ओर जीओपी क्रमांक-89/2000 का पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
सहायक पुलिस महानिरीक्षक(विधि)  
पुलिस मुख्यालय, भोपाल